उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–695 / सत्तर–3–2016–07(75) / 16
लखनऊ : दिनॉक : 18 जुलाई, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनश्चयन प्रकोष्ठ के संचालन हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनश्चयन समन्वय समिति (State Level Quality Assurance Co-ordination Committee-SLQACC) का गठन एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है :–

क0सं0	समन्वय समिति के सदस्य	पदनाम
1	मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष (पदेन)
2	प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	राज्य परियोजन निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अथवा नामित प्रतिनिधि।	समन्वयक (पदेन)
4	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य (पदेन)
5	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र शासन।	सदस्य (पदेन)
6	प्रमुख सचिव / सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र शासन।	सदस्य (पदेन)
7	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित दो या तीन राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति।	सदस्य
8	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित दो या तीन महाविद्यालयों के प्राचार्य अथवा न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर।	सदस्य
9	गैर सरकारी संगठन (NGO), कार्पोरेट क्षेत्र, निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन एवं अन्य जिनकी उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी / प्रतिनिधित्तव हो, में से मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित दो या तीन प्रतिनिधि।	सदस्य
10	निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलुरू अथवा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य (पदेन)
11	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।	सदस्य (पदेन)
12	अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।	सदस्य (पदेन)

2– राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनश्चयन समन्वय समिति (State Level Quality Assurance Co-ordination Committee-SLQACC) के कार्य निम्नवत् होगें:–

1– उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनश्चयन हेतु फ्रेमवर्क विकसित करना।

2– गुणवत्ता संवर्धन से सम्बन्धित शोध अध्ययन के क्षेत्र में स्वमूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा गुणवत्तापूर्ण शोध अध्ययन किया जाना।

3– गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए उच्च शिक्षा के सभी हितधारकों को सम्मिलित करना।

C.P. Tiwari U.O. Cmp-1

4– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करना एवं रिर्सोस सेन्टर के रूप में कार्य करना।

5– शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों की पूर्ति को साकार करना।

3– टास्क फोर्स का गठन–

प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनश्चयन समन्वय समिति (State Level Quality Assurance Co-ordination Committee-SLQACC) द्वारा एक्शन प्लान बनाया जा सकता है और इसके लिए समिति स्थानीय विश्वविद्यालय एवं जिले स्तर पर समितियों का गठन कर सकती है, जिससे उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी रखने वाले सभी प्रतिभाग कर सकें।

4– समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जायेगा।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–695(1)/सत्तर–3–2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री (मा0 उच्च शिक्षा मंत्री), उ0प्र0 शासन।
2. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण ।
3. गार्ड फाईल।

(अजय कुमार सिंह–।।)
विशेष सचिव।

C.P. Tiwari U.O. Cmp-1